ब न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बरही, हजारीबाग

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 48/2020

मो0 इजहार असांरी –बनाम–राज्य

तारिख	–:आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षरः–	अभियुक्ति
	आवेदक मो0 इजहार अंसारी, पिता हजी अब्दुल रसीद, ग्राम–मोहल्ला मिल्लत कोलोनी पेलावल रोड़ हजारीबाग, जिला–हजारीबाग ने आवेदन समर्पित किया है कि मौजा–रामपुर, थाना–चौपारण, थाना नं0–314, जिला– हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0 168, प्लॉट नं0 1516 रकवा 91 डी0, प्लॉट नं0 1517 रकवा 13 डी0 एवं प्लॉट नं0 1518 करवा 15 डी0 बिक्रय पत्र सं0 1748, दिनांक 01.10.2020 द्वारा बिक्रेता गीता देवी से भूमि क्रय की गयी है, जिसपर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। प्रश्नगत भूमि की दाखिल खारिज हेतु आवेदक द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण में ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया गया था जिसके आलोक में दाखिल खारिज वाद सं0 538R27/2020-21 द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण ने दाखिल खारिज को अस्वीकृत कर दिया। आवेदक द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए दाखिल खारिज की स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा अस्वीकृति का कारण दोहरी जमाबंदी बताया गया है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन में भी दोहरी जमाबंदी प्रतिवेदित है। इस कार्यालय के पत्रांक 09, दिनांक 04.01.2021 द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित जांच प्रतिवेदन मांग की गयी थी। अंचल अधिकारी के पत्रांक 33, दिनांक 08.01.2021 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें उल्लेखित है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक मो0 इजहार अंसारी पिता हाजी अब्दूल रसीद को विक्रय पत्र केवाला द्वारा हासिल है। उक्त मामला दोहरी जमाबंदी से संबंधित है। जिसमें उपयुक्त सुनवाई के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकता है। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 17, दिनांक 08.01.2021 द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन की मांग अंचल अधिकारी से की गयी। अंचलाधिकारी के पत्रांक 54, दिनांक 15.01.2021 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक मो0 इजहार असांरी पिता हाजी अब्दूल रसीद ग्राम–मोहल्ला मिल्लत कोलोनी पेलावल रोड़ हजारीबाग को विक्रेता श्रीमती गीता देवी पति नकुलदेव पाण्डेय मौजा रामपुर से विक्रय पत्र केवाला द्वारा हासिल है। प्रश्नगत आवेदित भूमि दाखिल खारिज वाद सं0 538R27/2020-21 द्वारा अस्वीकृत का कारण दोहरी जमाबंदी है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत भूमि का पंजी–II के पृष्ट सं0 74/III पर वास्तविक जमाबंदी रैयत गीता देवी पति नकुलदेव पाण्डेय के नाम से कुल रकबा 1.44 ए0 भूमि का जमाबंदी कायम है, लेकिन ऑनलाईन में शनिचर कुम्हार वगै0 पिता झरी कुम्हार का देहरा जमाबंदी का	

इन्दराज हो गया है। जिसे हटाने के पश्चात ही दाखिल खारिज की अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है। आवेदित भूमि पर वर्तमान में क्रेता मो0 इजहार अंसारी पिता हाजी अब्दूल रसीद का दखल कब्जा है।

अतएव अंचल अधिकारी चौपारण के जांच प्रतिवेदन में स्पष्टतः उल्लेखित है कि प्रश्नगत भूमि का वास्तविक जमाबंदी रैयत गीता देवी पति नकुलदेव पाण्डेय है। जिससे आवेदक मो0 इजहार असांरी द्वारा भूमि क्रय की गयी है। तथा आवेदित भूमि पर वर्तमान में क्रेता मो0 इजहार असांरी का दखल कब्जा भी है। चूंकि दाखिल खारिज हेतु दखल कब्जा एक महत्वपूर्ण बिन्दु होता है इसलिए आवेदक इजहार असांरी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी चौपारण को आदेश दिया जाता है कि जांचोपरान्त दोहरी जमाबंदी का सुनवाई करते हुए नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

KM 29/01/21

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बरही, (हजारीबाग)

KM 29/01/21

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बरही, (हजारीबाग)